फर्द अहकाम
न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमन्द

श्री कालूराम कुमावत पिता श्री रामलाल कुमावत निवासी गोगाथला तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द — **अपीलार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द — **प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा — अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 22/2025**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक 15.04.2025

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।

लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से जरिये पत्र क्रमांक :— एफ.1()सू0अ0,05/2025/287 दिनांक 27.03.2025 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी/अपीलान्ट का आवेदन पत्र दिनांक 03.01.2025 का सूचना के अधिकार अधिनियम,05 के तहत इस कार्यालय को 16.01.2025 को प्राप्त हुआ है। आरटीआई आवेदन में ईप्सित सूचना अपीलार्थी द्वारा चाही गई उसका संबंध इस कार्यालय से नहीं होकर ग्राम पंचायत गोगाथला की होने से इस कार्यालय द्वारा प्रार्थी अपीलार्थी का आरटीआई आवेदन कार्यालय के जरिये पत्रांक 64—65 दिनांक 20.01.2025 से संबंधित विभाग को सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 6(3)(1)(2) में ग्राम विकास अधिकारी, गोगाथला प.स. रेलमगरा जिला राजसमन्द को अन्तरण करते हुए जरिये डाक प्रेषित करते हुए प्रार्थी को भी प्रति पृष्ठांकित की जाकर जरिये डाक प्रेषित की गई। अतः प्रार्थी के आरटीआई आवेदन से चाही गई सूचना इस कार्यालय की नहीं होकर ग्राम पंचायत गोगाथला, पंचायत समिति रेलमगरा, जिला राजसमन्द की होने से समयावधि में अन्तरण की जाकर प्रार्थी को सूचित किया गया।

लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गयी ईप्सित सूचना का संबंध इस कार्यालय से नहीं होकर ग्राम पंचायत गोगाथला की होने से इस कार्यालय द्वारा प्रार्थी अपीलार्थी

का आरटीआई आवेदन कार्यालय के जरिये पत्रांक 64–65 दिनांक 20.01.2025 से संबंधित विभाग ग्राम विकास अधिकारी, गोगाथला प.स. रेलमगरा जिला राजसमन्द को अन्तरण करते हुए अपीलार्थी को भी प्रति पृष्ठांकित की जाकर जरिये डाक सूचित किया गया।

अतः अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि ईप्सित सूचना का संबंध कार्यालय ग्राम विकास अधिकारी, गोगाथला प.स. रेलमगरा जिला राजसमन्द से होने से ईप्सित सूचना ग्राम विकास अधिकारी गोगाथला, प.स. रेलमगरा जिला राजसमन्द से प्राप्त करे। अतः उक्त अपील को इसी स्टेज पर निर्णित किया जाता है।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

15/5/25

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)